महत्वपूर्ण

संख्या-2087/नौ-5-2013-120 बजट/2013

प्रेषक,

सी0बी0 पालीवाल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश (द्वारा जिलाधिकारी)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 07 जून, 2013

विषयः राज्य सेक्टर के अन्तर्गत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु संचालित "नगरीय सड़क सुधार योजना" के कियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उत्तर प्रदेश सर्वाधिक नगरीय निकायों वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की लगभग 22 प्रतिशत से अधिक आबादी शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। जनसंख्या वृद्धि, क्षेत्रफल में विस्तार, ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन, नगरीय यातायात में दिन-प्रतिदिन हो रही वृद्धि आदि के कारण शहरों की अवस्थापना सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव आ गया है। नागर निकाय अपने स्वयं के संसाधनों से नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का समुचित विकास नहीं कर पा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में सड़कों के सुधार व निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 से "नगरीय सड़क सुधार योजना" प्रारम्भ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश की सड़कों पर बढ़ते दबाव आदि के कारण खराब हुई सड़कों को पुनर्निर्मित करने के साथ ही साथ निकायों में नई सड़कों का निर्माण भी है, जिससे प्रदेश के नागर निकायों में इस महत्वपूर्ण नागरिक सुविधा को सुदृढ़ किया जा सके।

2- 'नगरीय सड़क सुधार योजना' के अन्तर्गत सड़कों के पुनर्निर्माण/निर्माण के लिए प्रस्ताव प्रेषण से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है-

(1) योजनान्तर्गत निकायों में क्षतिग्रस्त सड़कों के साथ-साथ नई सड़कों के निर्माण के कार्य भी कराए जा सकेंगे।

(2) योजनान्तर्गत उन सड़कों के पुनर्निर्माण/निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाएगा, जहाँ व्यापारिक गतिविधियाँ सर्वाधिक होती हों और जो बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ती हों तथा जिनकी स्थिति अधिक खराब है।

(3) उक्त के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में सड़कों की अधिक आवश्यकता हो तथा जिनकी उपेक्षा हो रही हो, उन्हें भी प्राथमिकता दी जाय।

(4) योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से 3.75 मीटर या उससे कम चौड़ी सड़कों का निर्माण इन्टरलाकिंग ब्रिक्स, जो आई0एस0आई0 मार्का हों, के द्वारा ही कराया जायेगा। निर्माणाधीन इन्टरलाकिंग सड़कें यदि ऐसे स्थान से गुजरती है, जहां भारी वाहनों का दबाव अत्यधिक रहता है, वहॉ कम से कम 04 इंच (10 सेमी) मोटाई की इंटरलाकिंग ब्रिक्स का प्रयोग किया जायेगा। ऐसे मार्ग जहॉ पर केवल हल्के वाहन यथा कार, मोटर साइकिल, आदि/पैदल यात्री गुजरते हों, वहॉ पर सड़कों के निर्माण में 03 इंच (08 सेमी) मोटाई की इन्टरलाकिंग ब्रिक्स का प्रयोग किया जायेगा। इन्टरलाकिंग ब्रिक्स के बिछाने से पूर्व पत्थर की गिट्टियों का प्रयोग यथास्थिति उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेडयूल एवं विशिष्टियों के अनुसार किया जायेगा। यदि कहीं सड़कों पर अधिक

वजन के वाहन का आवागमन हो रहा हो तो वहां पर 6 इंच की इन्टरलाकिंग बिक्स भी प्रयोग में लायी जा सकती है। मानक के अनुसार सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण न किया जाना दण्डनीय होगा।

(5) 3.75 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों का निर्माण डामरीकरण पद्धति से किया जायेगा। डामरीकरण का कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित शेडयूल एवं विशिष्टियों के अनुसार कराया जायेगा।

(6) यदि किसी मोहल्लें में सड़क का निर्माण कराया जाना है और जो आम रास्ता नहीं है तथा भारी वाहन भी सामान्यतया नहीं जाते हों तो उक्त सड़क के लिए सन्दर्भित 3.75 मीटर का मानक प्रभावी नहीं होगा।

(7) निर्माणाधीन सड़कें चाहें वह डामर से निर्मित हों या इन्टरलाकिंग ब्रिक्स से दोनो दशाओं में सड़क के दोनों किनारे पर पानी के निकास/बहाव के लिये नालियों का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

(8) सड़कों के पुनर्निर्माण/निर्माण के लिए कार्यदायी संस्था सम्बन्धित नागर स्थानीय निकाय होगी।

(9) निकायों द्वारा प्रस्तावित कार्य उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 की धारा-14(1) से आच्छादित होना आवश्यक है।

(10) आगणनों का गठन वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008, दिनांक 04 अप्रैल, 2008 की व्यवस्थानुसार कराया जाय।

(11) आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों पर किया जाय।

(12) निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए आगणन के सापेक्ष धनराशि निर्गत होने के पश्चात् स्वीकृत धनराशि में ही कार्य कराया जाना आवश्यक होगा। सामान्यतः लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(13) योजनान्तर्गत उन्हीं कार्यों को प्रस्तावित किया जाएगा, जो किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित नहीं हैं अथवा स्वीकृत नहीं हैं। प्रस्तावित कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी।

(14) कार्य की विशिष्टियों, मानक व गुणवत्ता का उत्तरदायित्व संबंधित नागर निकाय व कार्यदायी संस्था का होगा।

(15) कार्य की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप ठीक न होने की स्थिति में व्यय हुए शासकीय धन की वसूली सम्बन्धित अधिकारियों/कार्यदायी संस्था से उनके निजी स्त्रोतों से नियमानुसार की जाएगी तथा जिसे राजकोष में जमा कराया जाएगा।

3- सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के संबंध में प्रस्तर-2 के बिन्दु संख्या-3,4 व 5 की व्यवस्था के पश्चात् नागर निकायों में सड़कों का निर्माण सीमेन्ट कंक्रीट (सी.सी. रोड) से कराये जाने पर प्रतिबन्ध विषयक शासनादेश संख्या-3458/नौ-9-2005-269ज/05, दिनांक 21 सितम्बर, 2005, नागर निकायों में अवस्थापना निधि से निर्मित सी.सी. रोड के स्थान पर सड़कों का निर्माण इन्टरलाकिंग ब्रिक्स द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-1554/नौ-9-2005 दिनांक 18 अप्रैल, 2005 तथा नागर निकायों में अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित सी.सी. रोड के स्थान पर सड़कों का निर्माण इन्टरलांकिग ब्रिक्स द्वारा किये जाने वाले प्रतिबन्ध को समाप्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-1043/नौ-9-09-269ज/2005 दिनांक 01 जून, 2009 अवक्रमित समझा जाय तथा **नागर निकायों को सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु सन्दर्भित योजना के साथ-साथ अन्य समस्त स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि से नयी व्यवस्था के अनुसार सड़कों का निर्माण/पुनर्निर्माण किया जायेगा।**

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सी.बी. पालीवाल)
प्रमुख सचिव।

संख्या-2087(1)/नौ-5-2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/वित्त/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
5- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल
6- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।